पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने कुलपति नियुक्त किया

लखनऊः 24 मई, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय श्री राम नाईक ने प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का कार्यकारी कुलपति नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रो0 विनय पाठक कुलपति पद के दिन-प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों (नियुक्तियों एवं नीतिगत प्रशासनिक निर्णयों को छोड़कर) का सम्पादन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा-12 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रो0 एम0जेड0 खान की विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा 27 अप्रैल, 2017 को पारित एक आदेश में अवैध घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में राज्य सरकार द्वारा 23 मई, 2017 को डाॅ0 एम0जेड0 खान को उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति पद से पदच्युत कर दिया गया था।

अंजुम/ललित/राजभवन (197/36)